प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2023/74959/KNJ/KANNAUJ/489/CFO

दिनांक : 28-02-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स RRK SCHOOL OF EXCELLENCE पता GATA NO. 2289,PURANI THATHIYA,THATHIYA तहसीत - TIRWA प्लाट एरिया 8490 sq.mt (वर्गमीटर), कृत कवर्ड एरिया 1040 (वर्ग मीटर), व्याकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्राक/टावर प्रत्येक ब्याक में तहाँ की संख्या 0 3.8 mt.

SCHOOL 1


है। भवन का अधिभीग मेसर्स RRK SCHOOL OF EXCELLENCE द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०वी०सी० एवं तत्संवंधी भारतीय मानक ब्यूरों के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०वी०सी० एवं तत्संवंधी भारतीय मानक ब्यूरों के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का मिरीक्षण मुख्य अग्निश्चमन अधिकारी द्वारा दिनांक 28-02-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ADITYA KUMAR निरीक्षण मुख्य अग्निश्चमन अधिकारी द्वारा दिनांक 28-02-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री अग्निश्चम भवन को अधिमाम के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अग्निश्चमति याची गयी। अग्निश्चमति याची प्रति विधा तिथि 01-03-2023 से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेपटी सिर्टिफिकेट) एन०वी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 01-03-2023 से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेपटी सिर्टिफिकेट) एन०वी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 01-03-2023 से अग्निश्चण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निश्चमन व्यवस्थाओं में पापी गयी कमी के कारण किसी भी घटना अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निश्चमन व्यवस्थाओं में पापी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स RRK SCHOOL OF EXCELLENCE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्णत आत्रि सुरक्ष प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान तिया जायेगा, विसके लिए मेसर्स तिमितिकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान तिया जायेगा, विसके लिए मेसर्स तिमितिकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्णत अग्निश्चर होगा/होगें।

Note: Applicant attached affidavit and joining letters of teachers and applied the G.O. no18-chh-po-8-2022-905-34-2016TC dated 07.01.2022 regarding the availability and necessity of set back for above building is subject to the SATTA PRADHIKARI, School owner and SATTA PRADHIKARI is responsible for that. All firefighting systems as fire extinguishers shall always be in working condition. This is responsibility of owner. All access and means of escape shall be free from any obstacle. This final NOC is valid only for School at ground floor before any type of construction in building proper permission/NOC from Fire Service will be mandatory. If done otherwise the NOC stands CANCELLED by the issue date

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"</u>

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-03-2023

स्थान : KANNAUJ



(डिजिटल रूप से हरताचीत)

MUQIMUL HAQ

F2C9A9E1830A7D5DAC5E8FE93A000016 00754E5F

11-03-2023